राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर – 69/2019

सोमदत पुत्र पालाराम जाति मेघवाल निवासी चारावास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.... वादी

ब–ना–म

1. कमलेश पुत्री नाराणा पत्नी प्रदीप जाति मेघवाल निवासी रसूलपुर हाल आबाद कटकई तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ, हरि0
2. कमला देवी पत्नी नानड़राम जाति मेघवाल निवासी रसूलपुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
3. घीसाराम पुत्र हीरा जाति मेघवाल निवासी बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
4. जीताराम पुत्र हीरा जाति मेघवाल निवासी बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
5. बाबूलाल पुत्र जीतराम जाति मेघवाल निवासी बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
6. भीखाराम पुत्र सोनाराम जाति मेघवाल निवासी बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
7. माली पत्नी हीरा जाति मेघवाल निवासी बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0 – (मृत)
8. मोहर सिंह पुत्र हीरा जाति मेघवाल निवासी बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
9. रमेश कुमार पुत्र फूलाराम जाति मेघवाल निवासी बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
10. सीताराम पुत्र पोकर जाति मेघवाल निवासी बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0 – (मृत)

10/1 पतासी पत्नी स्व. सीताराम

10/2 बलबीर पुत्र स्व. सीताराम

10/3 कुलदीप पुत्र स्व. सीताराम जाति मेघवाल निवासी बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

..........प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनूं)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.10.14 13:16:04 IST
Reason: SelfAttested

दावा– खाता विभाजन

निर्णय **दिनांक 07–10–2020**

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10–01–2020 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित कर तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर जारी की गई कि वाके ग्राम बड़ाऊ स्थित भूमि खाता सं. 584 खसरा नंबर 1093, 1116, 2355/1100 कुल किता 3 कुल रकबा 1.51 है. भूमि में वादी का 1/9 हिस्से का, प्रतिवादी सं. 3, 4 व 8 प्रत्येक का 1/12–1/12 हिस्से का एवं प्रतिवादी सं. 2, 5, 6 व 9 का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11.2004 को मध्य नजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवायें। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांकः भू.अ./20/1418 दिनांक 21–08–2020 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21–08–2020 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21–08–2020 (प्रदर्श–'अ–1 लगा.3' व 'ब') का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21–08–2020 (प्रदर्श–'अ–1 लगा.3' व 'ब') के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21–08–2020 (प्रदर्श–'अ–1 लगा. 3' व 'ब') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21–08–2020 (प्रदर्श–'अ–1 लगा.3' व 'ब') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श–'ब' के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07–10–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

07/10/2020

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.10.14 13:16:04 IST
Reason: SelfAttested